उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-594/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(189)-2021

लखनऊः दिनांकः 29 जून, 2021

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017)(जिसे आगे इस अधिसूचना में"उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की धनराशि को, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसके लिये उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर कटौती करना अपेक्षित है, माह जून, 2021 के लिये, **प्ररूप जीएसटीआर-7** में नियत दिनांक तक विवरणी प्रस्तुत करने की विफलता हेतु, उस अवधि के लिए जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है, जो कि पच्चीस रुपये प्रतिदिन की धनराशि से अधिक है, का अधित्यजन करती हैं:-

परंतु यह कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन कुल संदेय विलंब फीस की धनराशि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माह जून, 2021 हेतु नियत दिनांक तक, **प्ररूप जीएसटीआर-7** में विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए, जो एक हजार रुपये की धनराशि से अधिक है, अधित्यजित रहेगी ।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव